



नवयुग विद्यालय शैक्षिक समिति

(सोसाइटी पंजीकरण १८६० अधिनियम-२१ के तहत पंजीकृत सोसायटी
पंजीकरण संख्या एस/२३७०४/१९९२ दिनांक २८ दिसम्बर, १९९२ द्वारा एवं
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा १००% वित्त पोषित)

प्रधान कार्यालय :

एनडीएमसी विज्ञान एवं मानविकी विद्यालय,
तुगलक रोड, नई दिल्ली-११०००९
०११-२३७४२१७०, ०११-२३३४७२९६

क्रमांक/८९/पी.ए. नि.(शिक्षा/एन.एस. ई.एस.)/२०२४

दिनांक: ०४/०३/२०२४

परिपत्र

विषय: शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए नवयुग विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश
नवयुग विद्यालयों में कक्षा-१ एवं कक्षा-के.जी. में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार
विभिन्न नवयुग विद्यालयों में उपलब्ध सीटों हेतु प्रवेश के लिए ऑनलाइन लाइन पंजीकरण
०५.०३.२०२४ से शुरू होगा:

क्र.सं.	विद्यालय	उपलब्ध सीटों की संख्या		टिप्पणी
		कक्षा-के.जी	कक्षा-१	
1	नवयुग स्कूल, पेशवा रोड	00	७०	२ अनुभाग
2	नवयुग स्कूल, लक्ष्मीबाई नगर	00	७०	२ अनुभाग
3	नवयुग स्कूल, लोधी रोड	00	७०	२ अनुभाग
4	नवयुग स्कूल, मोती बाग	00	३५	२ अनुभाग
5	नवयुग स्कूल, विनय मार्ग	३५	00	१ अनुभाग
6	नवयुग स्कूल, मंदिर मार्ग	00	३५	१ अनुभाग
7	नवयुग स्कूल, पंडारा पार्क	३५	00	१ अनुभाग
8	नवयुग स्कूल, पटौदी हाउस	00	७०	२ अनुभाग
9	नवयुग स्कूल, दरभंगा हाउस	३५	00	१ अनुभाग

क्र.सं.	विद्यालय	उपलब्ध सीटों की संख्या		टिप्पणी
		कक्षा-के.जी	कक्षा-।	
10	नवयुग स्कूल, जोर बाग	00	३५	१ अनुभाग
11	नवयुग स्कूल, बी-एवेन्यू, सरोजिनी नगर	00	७०	२ अनुभाग
	कुल अनुभाग	०३	१३	१६
	कुल सीटे	१०५	४७५	१६ अनुभाग

ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि २०.०३.२०२४ (सांय ०५.०० बजे तक)

- यदि आवश्यक हो तो एनडीएमसी/एनएसईएस पंजीकरण की प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो एनडीएमसी/एनएसईएस के नियंत्रण से परे है।
- माता-पिता अपने बच्चे के लिए पंजीकरण के लिए एन.डी.एम.सी. के वेबसाईट www.ndmc.gov.in के एडमिशन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है।
- ऑनलाइन मोड के अलावा अन्य तरीके से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं जाएगा।
- माता-पिता को नीचे दिए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- माता-पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन फॉर्म में दिया गया ई-मेल पता और मोबाइल नंबर उनका अपना है, क्योंकि एनडीएमसी/एनएसईएस द्वारा सभी जानकारी/संचार प्रार्थी द्वारा दिए गए ई-मेल पते पर या दिए गए मोबाइल नंबर पर ही एसएमएस के माध्यम से ही भेजा जाएगा।

2. कक्षा-के.जी और कक्ष-। के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:

- अनलाइन पंजीकरण और आवेदन निशुल्क है।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए नडीएमसी की वेबसाईट www.ndmc.gov.in पर प्रवेश पोर्टल पर जाएं। आप इस पोर्टल पर दिए गए यूजर मैनुअल का अध्ययन कर सकते हैं। यह उपयोगकर्ता पुस्तिका पंजीकरण, लॉग इन करने, आवेदन पत्र भरने और आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने की प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेगी।
- पात्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश/दिशानिर्देश डाउनलोड करें और पढ़ें।

(iv) यदि पात्र हैं, तो अद्वितीय मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण करें। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए केवल पहला कदम है और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बराबर नहीं है। एक बार पंजीकृत होने के बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक लॉगिन कोड प्राप्त होगा। आप इस लॉगिन कोड और पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन "आवेदन पत्र भरें"। आवेदन पत्र भरने और भविष्य के संदर्भ के लिए लॉगिन कोड नोट कर लें। सिस्टम जनित आवेदन संख्या का रिकॉर्ड रखें जो भविष्य में संदर्भ के लिए प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन पत्र के लिए अद्वितीय होगा।

(v) उसी लॉग इन कोड का उपयोग करके, आप जितने चाहें उतने नवयुग स्कूलों के लिए "ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें" (अनुलग्नक 1 और 2)। कृपया ध्यान दें कि सबमिट किए गए प्रत्येक आवेदन के लिए एक अलग आवेदन संख्या उत्पन्न की जाएगी। हालाँकि, एक सत्र में प्रत्येक स्कूल के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। गौरतलब है कि आवेदन पत्र भरना प्रवेश की गारंटी नहीं देता; प्रवेश दिशानिर्देश/ नियम - अनुसार ही दिया जायेगा। एक आवेदन पत्र भरने और जमा करने के बाद, आप चाहें तो आपके द्वारा अन्य नवयुग विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए, आप अपने द्वारा पहले से भरी गई जानकारी और अपलोड किये हुए दस्तावेजों (जो सभी नवयुग विद्यालयों में सामान्य है) का उपयोग करने के लिए ऑटो-पॉप्युलेट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, प्रत्येक स्कूल के लिए स्कूल - विशिष्ट डेटा अलग से भरा जाएगा और स्कूल - विशिष्ट आवश्यक दस्तावेज़ अलग से जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी कठिनाई के मामले में आप संबंधित नवयुग स्कूलों में स्थापित सुविधा केंद्र/सहायता डेस्क पर जा सकते हैं (अनुलग्नक 1 और 2)।

(vi) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें:

(अ) आवश्यक दस्तावेज़:

- अभ्यर्थी की फोटो की स्कैन की गई छवियां- (फाइल आकार: 10kb-200kb) JPG प्रारूप में।
- अभिभावक (माता और पिता/कानूनी अभिभावक) की स्कैन की गई छवियां फोटोग्राफ- (फाइल आकार: 10kb-200kb प्रत्येक) JPG प्रारूप में।
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र - (फाइल का आकार: 100 केबी से 500 केबी) पीडीएफ प्रारूप में।

- माता/पिता का आईडी प्रूफ (आवासीय पते के साथ आधार कार्ड और वोटर आईडी / किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य फोटो आईडी कार्ड - (फाइल आकार १०० केबी से १ एमबी) पीडीएफ प्रारूप में।
- एनडीएमसी क्षेत्र में पिछले एक वर्ष के निवास को प्रमाणित करने के लिए:
बच्चे के माता-पिता के नाम पर बिजली बिल/पानी बिल/ गैस बिल (पिछले एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) जमा करना आवश्यक होगा। प्रथम तिमाही के लिए (अप्रैल - जून), अप्रैल 2023 मास का बिल जमा करना होगा। अंतिम तिमाही हेतु (जनवरी 2024 से मार्च 2024), माता पिता के नाम से फरवरी/मार्च 2024 के मास का बिल जमा करना आवश्यक है। पिछले एक वर्ष में रहने के विवरण के साथ एनडीएमसी क्षेत्र के लिए माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड, पिछले एक साल के इतिहास के साथ/ पिछले एक वर्ष के दौरान नियमित वैध लेनदेन वाले किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक पासबुक, (माता-पिता के नाम की) साथ ही बैंक से प्रमाण पत्र कि पिछले एक वर्ष में नाम और पता नहीं बदला गया है।(फाइल आकार १०० केबी से १ एमबी) पीडीएफ प्रारूप में।

अथवा

हाल ही में सरकारी आवास के कब्जे का प्रूफ, वर्तमान में बिजली/पानी के बिल के साथ (माता-पिता के नाम का) (पीडीएफ फाइल साइज़ १०० केबी से १ एमबी तक)

अथवा

यदि लागू हो, सरकारी/एनडीएमसी/नवयुग कर्मचारियों के लिए-ऑफिस पहचान पत्र (माता - पिता का) या अन्य वैध दस्तावेज (पीडीएफ फाइल साइज़: १०० केबी-५०० केबी)

- Google मानचित्र पीडीएफ प्रारूप में घर से स्कूल की दूरी दिखाते हुए (फाइल आकार: १०० केबी से ५०० केबी)
- आवश्यक स्व-घोषणा(अनुलग्नक-३)-फाइल साइज़(१०० केबी-५००केबी) पीडीएफ प्रारूप में।

(ब) यदि लागू हों तो निम्न दस्तावेज जमा करें :

• आय प्रमाणपत्र:

नवयुग स्कलों में वर्ग 'ए' में प्रवेश पाने के उद्येश्य से, माता पिता को नवीनतम आय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र के उद्येश्य से निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रमाण के रूप में स्वीकार होंगे:-

(I) सरकारी कर्मचारियों हेतु आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फॉर्म-16 विभागप्रमुख द्वारा जारी।

(II) गैर-सरकारी कर्मचारियों हेतु आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फॉर्म-1 के साथ



नियोक्ता का प्रमाणपत्र।

(III) स्व-रोज़गार के लिए, आयकर विभाग से भरा गया नवीनतम आय रिटर्न या बिक्री कर रिटर्न की एक प्रति या राजस्व विभाग से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/एसडीएम द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।

(IV) सरकार द्वारा जारी बीपीएल प्रमाणपत्र।

(V) आय का स्तर निर्दिष्ट करता कोई अन्य सरकारी दस्तावेज़ (पीडीएफ़: १००-बी-५०० के बी)।

- सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो (फाइल का आकार: १०० के बी से ५०० के बी) पीडीएफ़ प्रारूप में।
- दिव्यांग बच्चों के लिए - आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम २०१६ के अनुसार पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो (फाइल का आकार: १०० के बी से ५०० के बी) पीडीएफ़ प्रारूप में।
- स्कूल की उसी शाखा में पढ़ रहे भाई-बहन के संबंध में नवीनतम विकास शुल्क रसीद जैसे वैध दस्तावेज़ी प्रमाण यदि लागू हों। यह लाभ केवल दूसरे बच्चे तक दिया जाएगा, सिवाय इसके कि जब दूसरे बच्चे के जन्म के समय एक से अधिक बच्चों का जन्म होता है। (फाइल का आकार: १०० के बी से ५०० के बी) पीडीएफ़ प्रारूप में।
- एकल माता पिता हेतु / माता-पिता के जीवित न होने पर, विधिक अभिभावक हेतु, वैध कानूनी दस्तावेज, यदि लागू हो। (फाइल का आकार: १०० के बी से ५०० के बी) पीडीएफ़ प्रारूप में।

टिप्पणी:

(यदि दी गई जानकारी या अपलोड किए गए दस्तावेज़ सही नहीं हैं या अधूरे हैं या प्रवेश के समय आवश्यक मूल प्रमाणपत्रों के साथ इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, तो उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा)

- (i) अभ्यर्थियों को भविष्य के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदन संख्या और जनरेट किया गया लोग इन कोड रखने का परामर्श दिया जाता है।
- (ii) प्रमाणपत्रों स्कैन की गई छवियों को अपलोड करने सहित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसलिए, माता-पिता को पुष्टिकरण पृष्ठ सहित किसी भी दस्तावेज़ को पोस्ट/फैक्स/हाथ से भेजने/जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर जाते रहें, सूचना देखते रहें और अपने SMS/ईमेल जांचते रहें।

- (iv) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने से पहले एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर दिए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए निर्देशों को पढ़ें।
- (v) अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है - उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म के दौरान दर्ज की गई सभी जानकारी सही है।
- (vi) माता-पिता द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन जानकारी जैसे उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, संपर्क/पता विवरण, जन्म तिथि, श्रेणी, उप-श्रेणी आदि को सही/अंतिम माना जाएगा और विभाग किसी भी परिस्थिति में माता-पिता द्वारा प्रदान की गई जानकारी में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
- (vii) एनडीएमसी/एनएसईएस, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के कारण अभ्यर्थी पर उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है।
- (viii) एनडीएमसी/एनएसईएस, किसी भी परिस्थिति में पंजीकरण पूरा होने के बाद माता-पिता द्वारा दर्ज की गई किसी भी जानकारी को संपादित/संशोधित/बदलाव नहीं करता है। इसके बाद जानकारी में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पंजीकरण प्रणाली में सही विवरण भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
- (ix) एनडीएमसी/एनएसईएस, केवल पंजीकरण उद्देश्य के लिए नवयुग स्कूलों में सुविधा काउंटर स्थापित करेगा।

3: अन्य निर्देश:

- (A) शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-2025 के लिए नवयुग स्कूलों में प्रवेश स्तर (केजी/कक्षा-१), जैसा भी मामला हो) पर प्रवेश के लिए :
- (i) ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिनांक 05.03.2024 से एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in के प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध है।
 - (ii) अभ्यार्थी, यदि चाहे, एक से अधिक नवयुग स्कूलों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकता है जिसके लिए उसे अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। हालांकि प्रवेश दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रवेश मानदंडों के आधार पर ही किया जाएगा।
 - (iii) आयु सीमा: प्री-प्राइमरी (केजी)/कक्षा-१ में प्रवेश स्तर में दाखिला के लिए, केजी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु चार (4) वर्ष होगी (बच्चे का जन्म 01.04.2019 से 31.03.2020 के बीच होना चाहिए) और कक्षा-१ में प्रवेश के लिए न्यूनतम पांच (5) वर्ष (बच्चे का जन्म

01.04.2018 से 31.03.2019 के बीच होना चाहिए)। डीओई परिपत्र संख्या एफ.डी.आर.15(172) पीएसबी/2016.9483-9492 दिनांक 21/11/22, के अनुसार, आयु निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि कैलेंडर वर्ष की ३१ मार्च होगी जिसमें प्रवेश मांगा जा रहा है, अर्थात् शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए आयु सीमा की गणना 31.03.2024 के आधार पर की जाएगी।

(अ) डीओई परिपत्र संख्या एफ.डी.आर.15(172) पीएसबी/2016.9483-9492 दिनांक 21/11/22, द्वारा प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में स्कूल के प्रमुख के स्तर पर प्रवेश के लिए 30 दिनों तक की छूट दी जा सकती है।

(ब) प्रवेश देते समय विद्यालय प्रमुख (एचओएस) अपने स्तर पर ऐसी छूट दे सकता है यदि बच्चा अन्यथा पात्र है। इस संबंध में माता-पिता से अलग से लिखित अनुरोध लेने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) सभी नवयुग स्कूलों में, पहले की तरह, एनडीएमसी क्षेत्र के बाहर रहने वाले नियमित एनडीएमसी/एनएसईएस कर्मचारियों के बच्चों को छोड़कर, केवल एनडीएमसी क्षेत्र के निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे, जिनके लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। इसके अलावा, बच्चे और माता - पिता को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से पहले कम से कम एक वर्ष तक लगातार एनडीएमसी क्षेत्र में रहना चाहिए यानी शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए उन्हें कम से कम एक वर्ष (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) तक एनडीएमसी क्षेत्र में लगातार रहना चाहिए।

(v) बच्चे के माता-पिता (यदि माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तो कानूनी अभिभावक) के नाम पर भारतीय मतदाता पहचान पत्र /आधार कार्ड वाला दस्तावेज निवास प्रमाण के रूप में जमा करना अनिवार्य है।

(vi) एनडीएमसी क्षेत्र में पिछले एक वर्ष के निवास को प्रमाणित करने के लिए:

बच्चे के माता-पिता के नाम पर बिजली बिल/पानी बिल/ गैस बिल (पिछले एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) जमा करना आवश्यक होगा। प्रथम तिमाही के लिए (अप्रैल - जून), अप्रैल 2023 मास का बिल जमा करना होगा। अंतिम तिमाही हेतु (जनवरी 2024 से मार्च 2024), माता पिता के नाम से फरवरी/मार्च 2024 के मास का बिल जमा करना आवश्यक है। यदि माता-पिता किसी सरकारी आवास में सहायक के रूप में रह रहे हैं। तो बिजली/पानी के बिल के बदले लेटर हेड पर संबंधित अधिकारी का एक पत्र आवश्यक होगा। हालाँकि, पिछले एक वर्ष में रहने के विवरण के साथ एनडीएमसी क्षेत्र के लिए माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है। पिछले एक वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में नियमित वैध लेनदेन वाले किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक पासबुक (बच्चे के माता-पिता के नाम पर), साथ ही बैंक से प्रमाण पत्र कि पिछले एक वर्ष में नाम और पता नहीं बदला गया है।

- (vii) किसी भी स्तर/समय पर यह साबित होने पर कि प्रस्तुत दस्तावेज असत्य/गलत/नकली थे, एनडीएमसी/एनएसईएस के सक्षम प्राधिकारी को प्रवेश रद्द करने और उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।
- (viii) पिछले एक वर्ष (संदर्भ बिंदु (iv) ऊपर) के लिए एनडीएमसी क्षेत्र में रहने की अवधि के क्लॉज़ में छूट दी जाएगी। यदि माता पिता ने पिछले एक वर्ष में एनडीएमसी क्षेत्र में अपने नाम पर सरकारी आवास का कब्जा ले लिया है और वह ऐसे सरकारी आवास के हालिया बिजली / पानी के बिल के रूप में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। दादा-दादी या स्थानीय अभिभावकों का पता प्रमाण (जब तक कि आवेदक को उनके द्वारा कानूनी रूप से गोद नहीं लिया गया हो) प्रवेश उद्देश्य के लिए वैध नहीं माना जाएगा।
- (ix) प्रवेश के लिए बच्चों का चयन "प्वाइंट सिस्टम" द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर होगा और यदि आवश्यक हुआ तो "ड्रा ऑफ लॉट्स" के आधार पर होगा। किसी विशेष श्रेणी या उप श्रेणी में यदि आवेदकों की संख्या सीटों की संख्या से अधिक है, तब सीटों के लिए चयन "ड्रा ऑफ लॉट्स" के आधार पर होगा।
- (x) प्रवेश स्तर की कक्षा (केजी/कक्षा-I जैसा भी मामला हो) में प्रत्येक अनुभाग की आदर्श संख्या शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 से 35 होगी। प्रवेश स्तर (केजी और कक्षा- I) पर प्रति अनुभाग सभी 35 सीटें प्वाइंट सिस्टम/ड्रा ऑफ लॉट्स के अनुसार अनु.जा./अनु.जन.जाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने के बाद भरी जाएंगी।
- (xi) इसके अलावा, इनमें से 30% सीटें श्रेणी "ए" आवेदकों के लिए और 70% सीटें श्रेणी "बी" आवेदकों के लिए रखी जाएंगी। वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये को श्रेणी "ए" को परिभाषित करने के लिए मानदंड के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार, यदि माता-पिता/कानूनी अभिभावक (जैसा भी मामला हो) दोनों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो बच्चे को "ए" श्रेणी का माना जाएगा, अन्यथा बच्चे को श्रेणी "बी" में माना जाएगा।
- (xii) श्रेणी "ए" और "बी" के भीतर उप-श्रेणियों (यानी अनु.जा./अनु.जन.जाति) के लिए सीटों का आरक्षण नवयुग स्कूलों में अपनाए गए भारत सरकार के नियम अनुसार पिछले चलन के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, "ए" और "बी" के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी (यानी अना./अनु.जा./अनु.जन. जाति) में उपलब्ध सीटों की संख्या समान मानदंडों का उपयोग करके प्रत्येक स्कूल में अलग से निर्धारित की जाएगी।
- (xiii) ऐसे श्रेणी "ए" आवेदक, जो श्रेणी "ए" आवेदकों में अर्जित अंकों या ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से प्रवेश पाने में विफल रहते हैं, उन्हें श्रेणी "बी" ड्रा में भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, बिंदु आधारित चयन और (श्रेणी 'ए') के आवेदकों के ड्रा के बाद, शेष आवेदक श्रेणी 'बी' आवेदकों के लिए निकाले गए ड्रा के साथ विचार किए जाने के पात्र होंगे।

(xiv) प्वाइंट आधारित प्रणाली:

मूल पात्रता पर विचार करने के बाद, एनडीएमसी क्षेत्र निवास और आयु उपयुक्तता के आधार पर, उप-श्रेणी वार अनु.जा./अनु.जन.जाति अभ्यर्थियों अनंतिम योग्यता सूची (श्रेणी 'ए' / श्रेणी 'बी' के भीतर, अलग - अलग) निम्नलिखित प्वाइंट प्रणाली के अनुसार आवेदक द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर अलग से तैयार की जाएगी।

क्र.सं.	ओपन सीटों के लिए मानदंड	अंक आवंटित
1	क्या बच्चा और माता-पिता स्कूल के नजदीक रहते हैं? Google मानचित्र के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र में उल्लिखित स्कूल से निवास की दूरी।	अधिकतम अंक - 30: (i) दूरी <3 किमी, 30 अंक। (ii) 3 से 5 किमी के बीच की दूरी, 20 अंक। (iii) दूरी > 5 किमी, 10 अंक
2	यदि बच्चे का कोई भाई-बहन* (सगा भाई/बहन) स्कूल की उसी शाखा में है?	20 अंक
3	यदि बच्चे के माता-पिता नियमित सरकारी/एनएसईएस/एनडीएमसी कर्मचारी हैं?	अधिकतम अंक - 20: यदि माता-पिता नियमित एनडीएमसी/एनएसईएस कर्मचारी हैं: 20 अंक यदि माता-पिता एनडीएमसी/एनएसईएस के अलावा अन्य नियमित सरकारी कर्मचारी हैं। : 15 अंक
4	यदि बच्चा बालिका है* ?/पहला जन्म बच्चा है?	10 प्वाइंट
5	यदि बच्चा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी में है ?	10 प्वाइंट
6	यदि बच्चे के एकल माता-पिता हैं या कोई जीवित माता-पिता नहीं हैं?	10 प्वाइंट
	कुल	100 अंक

- * यह लाभ केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए ही लिया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब दूसरे बच्चे के जन्म के समय एकाधिक जन्म के कारण बच्चों की संख्या दो से अधिक हो।

(xv) श्रेणी-वार अनंतिम स्कोर सूची में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार "ए" और "बी" श्रेणियों के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी अर्थात् अना./अनु.जा./अनु.जन.जाति आदि में उपलब्ध सीटों की संख्या दर्शाई जाएगी। इसमें उपरोक्त प्वाइंट प्रणाली के अनुसार अर्जित अंकों के आधार पर "ए" और "बी" श्रेणी के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी के शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को भी दर्शाया जाएगा। इस प्रकार, प्रत्येक श्रेणी के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए अलग स्कोर सूची तैयार की जाएगी। अनंतिम सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड और/एनडीएमसी वेबसाइट/अड्मिशन पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(xvi) प्रदर्शित अनंतिम स्कोर सूची में शिकायतों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए माता-पिता को 2 दिन का समय दिया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों को आवेदन और सभी सहायक दस्तावेजों के साथ संबंधित स्कूलों में जाना आवश्यक होगा। सुधार (सुधारों) के बाद, यदि कोई हो तो, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची प्वाइंट सिस्टम के आधार पर तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार चयन के लिए प्रदर्शित की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो बाद में ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। यह माता-पिता की जिम्मेदारी होगी कि वे अनंतिम सूची की जांच करें, यदि आवश्यक हो तो समय पर सुधार करवाएं और सही सूची को सत्यापित करें। यद्यपि स्कूल अनंतिम सूची तैयार करने के लिए सावधानीपूर्वक काम करेगा, तथापि, यदि अभिभावक निर्धारित समय अवधि के भीतर आवश्यक सुधार के लिए कोई पहल नहीं करता है, तो स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा।

(xvii) यदि निर्धारित प्वाइंट प्रणाली के आधार पर शॉर्टलिस्ट पात्र आवेदकों की संख्या श्रेणी (ए/बी) की संबंधित उप-श्रेणी (अना./अनु.जा./अनु.जन.जाति) में उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक है या उपलब्ध रिक्तियों की कम संख्या के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए अंकों का टाइ हो जाता है, प्रत्येक श्रेणी (ए/बी) में अलग से माता-पिता की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से पर्ची/टोकन के माध्यम से ड्रॉ ऑफ लॉट्स (उपश्रेणीवार) आयोजित किया जाएगा।

(xviii) ड्रॉ ऑफ लॉट्स के लिए पात्र आवेदकों के सभी अभिभावकों को स्कूल द्वारा वेबसाइट/नोटिस बोर्ड/ईमेल/एसएमएस/व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से ड्रॉ की तारीख से कम से कम दो दिन पहले सूचित किया जाएगा। स्कूल ऐसे सभी संपर्कों का रिकॉर्ड रखेगा। ड्रॉ ऑफ लॉट्स

वीडियोग्राफी के तहत आयोजित किया जाएगा और इसकी फुटेज वीडियोग्राफी की तारीख से 1 वर्ष तक स्कूल द्वारा बनाए रखी जाएगी।

(xix) ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना माता-पिता की जिम्मेदारी होगी। यदि माता-पिता निर्धारित तिथि/समय पर व्यक्तिगत रूप से या अन्य कारणों से ड्रॉ ऑफ लॉट्स में भाग लेने में विफल रहते हैं, तो स्कूल माता पिता को वीडियो दिखाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उचित मामले में, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् निदेशक (शिक्षा/एनएसईएस) द्वारा अनुमोदित होने पर, प्रत्येक बार माता-पिता से प्रति बच्चा 1000 रुपये का शुल्क लेकर वीडियोग्राफी दिखाई जा सकती है।

(xx) जिस पर्ची/टोकन का उपयोग ड्रा ऑफ लॉट्स के लिए किया जाएगा, उसे बॉक्स में डालने से पहले माता-पिता को दिखाया जाएगा। श्रेणी "ए" और श्रेणी "बी" के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी (अना./अनु.जा./अनु.जन.जाति) के लिए अलग से ड्रा ऑफ लॉट्स निकाला जाएगा।

(xxi) प्वाइंट सिस्टम/ड्रा ऑफ लॉट्स (जैसा लागू हो) के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की पहली सूची पृथकतः श्रेणी "ए" और "बी" के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी (अना./अनु.जा./अनु.जन.जाति) में उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार पृथकतः तैयार की जाएगी।

(xxii) सीटों की श्रेणी "ए" और "बी" के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए चयनित अभ्यर्थियों की पहली सूची संबंधित स्कूलों के स्कूल नोटिस बोर्ड/ एनडीएमसी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें दस्तावेज़ जमा करने और देय राशि की अंतिम तिथि (और समय) बताया जाएगा।

(xxiii) प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए 1:5 के अनुपात में अभ्यर्थियों की श्रेणी-वार प्रतीक्षा सूची भी उसी दिन प्वाइंट सिस्टम के आधार पर तैयार की जाएगी और प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों का विवरण एनडीएमसी वेबसाइट/स्कूल नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों /अभिभावकों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त टेलीफोन/मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स के आधार पर चुने गए अभ्यर्थियों के मामले में भी ऐसा ही किया जाएगा, (यदि आवश्यक हो तो) जब उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक हो।

(xxiv) माता-पिता को चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रदर्शित होने के 3 दिनों के भीतर देय राशि और प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने आवश्यक होंगे, अन्यथा चयन रद्द कर दिया जाएगा और सीट उसी उप-श्रेणी में प्रतीक्षा सूची में श्रेणी (ए/बी) के (अना./अनु.जा./अनु.जन.जाति)

अगले अभ्यर्थियों को स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसलिए, माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे सभी दस्तावेज़ पहले ही पूरे कर लें।

(xxv) यदि कोई सीट खाली रह जाती है/खाली हो जाती है तो प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को श्रेणी (ए/बी) की उसी उप-श्रेणी (अना./अनु.जा./अनु.जन.जाति) की योग्यता/प्रतीक्षा सूची के क्रम में बुलाया जाएगा। यदि किसी दूसरी या उसके बाद की प्रतीक्षा सूची तैयार करने की आवश्यकता है, तो उसे स्कूल नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। माता-पिता/छात्रों को वेबसाइट/ईमेल/नोटिस बोर्ड/एसएमएस या किसी भी माध्यम से सूचित किया जाएगा जिसके लिए संपर्क के दस्तावेजी प्रमाण स्कूल रिकॉर्ड में रखे जाएंगे।

(xxvi) यदि सभी प्रतीक्षा सूची समाप्त होने के बाद भी अनु.जा./अनु.जन.जाति उपश्रेणी की कोई सीट खाली रह जाती है और उस उपश्रेणी (अनु.जा./अनु.जन.जाति) का कोई योग्य अभ्यर्थी विचार के लिए उपलब्ध नहीं है, तो रिक्त सीट को उस श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में अना. श्रेणी के अभ्यर्थी (अर्थात् श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी') से भर दिया जाएगा।

(xxvii) कोई भी स्कूल या व्यक्ति किसी बच्चे को दाखिला देते समय माता-पिता से कोई कैपिटेशन शुल्क/डोनेशन नहीं लेगा। ऐसी घटना संज्ञान में आने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(xxviii) प्रत्येक स्कूल में विधिवत रूप से गठित 5 सदस्यीय "प्रवेश निगरानी समिति" होगी, जिसमें स्कूल के शिक्षक/कर्मचारी शामिल होंगे, जैसा कि विद्यालय प्रमुख (एचओएस) द्वारा तय किया गया है, और उनमें से समिति में कम से कम एक अनु.जा./अनु.जन.जाति शिक्षक/कर्मचारी होगा। स्कूल की समिति एचओएस के तत्वावधान में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगी और प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी।

(xix). ~~वैशाखिक~~ सत्र 2023-2024 से सभी छात्रों (केजी से बारहवीं कक्षा तक) से प्रति वर्ष 1200/- रुपये की राशि (@रु. 100/- प्रति माह) को स्कूल विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा।

(xxx) प्रवेश के समय सभी छात्रों से 1000/- रुपये की एकमुश्त वापसीयोग्य जमानत राशि ली जाएगी। यदि छात्र स्कूल-बुनियादी ढांचे/स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल होता है तो जुर्माने की राशि संबंधित छात्र की इस जमानती राशि से काट ली जाएगी। ऐसे मामले में, छात्र को रुपये 1000/- में से कटी हुई राशि को जमा करके यह जमानती राशि बनाए रखायी होगी। यह जुर्माना स्कूल के खाते में जमा किया जाएगा और इसकी रसीद अभिभावक/छात्र को दी जाएगी। इस प्रकार, यदि छात्र स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने



में शामिल है, तो जमानती राशि जब्त कर ली जाएगी। स्कूल की संपत्ति को 1000/- रुपये से अधिक की क्षति होने पर अभिभावकों को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा, एक बार जब छात्र स्कूल छोड़ देता है, तो स्कूल माता-पिता द्वारा दावा प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा किए बिना, स्कूल के पास पहले से उपलब्ध छात्र/माता-पिता के बैंक खाते में राशि वापस कर देगा।

(xxxii). मौजूदा प्रथा के अनुसार, दाखिले के समय १०/ रुपये की वार्षिक छात्र निधि राशि ली जाएगी। इसके अलावा, श्रेणी "ब" के छात्रों से प्रवेश शुल्क रु. 40/- की राशि को प्रवेश के समय छात्रों से वसूला जाएगा। हालाँकि, श्रेणी "ए" के छात्रों के लिए यह मात्र रु 20/- होगा।

3(बी): अन्य कक्षाओं के लिए: अन्य कक्षाओं में प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार होगा:

क्र.सं.	कक्षा	क्षेत्र प्रतिबंध	अनुसूची	टिप्पणी
1	कक्षा-2 से 4 और कक्षा-7 वीं (सीटों की उपलब्धता के आधार पर)	केवल एनडीएमसी क्षेत्र के निवासी (एनडीएमसी/एनएसईएस नियमित कर्मचारी को छोड़कर)	05/04/2024 20/04/2024	सेये नियम और शर्तें नवयुग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजिनी नगर में कक्षा VI और VII में प्रवेश के लिए लागू नहीं होंगी, जिसके लिए दाखिला प्रवेश परीक्षा - NSSNET-2024 के माध्यम से किया जा रहा है।
2	कक्षा-5, 6 और 8 वीं (सीटों की उपलब्धता के आधार पर)	केवल एनडीएमसी क्षेत्र के निवासी (एनडीएमसी/एनएसईएस और 8 वीं में पुनः नियमित कर्मचारी को छोड़कर)	2 मई से 7 मई 2024 (कक्षा-5 वीं तक परीक्षा परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद, यदि आवश्यक हुआ तो)	रिक्विट की उपलब्धता पर निर्भर करता है
3	कक्षा-9 वीं	केवल एनडीएमसी क्षेत्र के निवासी (एनडीएमसी/एनएसईएस नियमित कर्मचारी को छोड़कर)	यहाँ 9 वीं में बाहरी बच्चों का प्रवेश नहीं होगा। हालाँकि, यदि किसी विशेष स्कूल में कुछ रिक्विट याँ उपलब्ध हो जाती हैं, तो छात्र की योग्यता के आधार पर प्रवेश स्कूल स्तर पर किया जा सकता है।	

4	कक्षा-10 वीं	केवल एनडीएमसी क्षेत्र विशेषकर योग्य और उचित मामलों (सीबीएसई के निवासी (सीबीएसई से अनुमोदन के अधीन) को छोड़कर कक्षा-10 एनडीएमसी/एनएसईएसवीं में कोई प्रवेश नहीं होगा। नियमित कर्मचारी को छोड़कर)
5	कक्षा-11 वीं	सीबीएसई दसवीं कक्षा के बोर्ड परिणाम की घोषणा के बाद और प्रवेश मानदंडों के आधार पर उचित समय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
6	कक्षा-12 वीं	विशेषकर योग्य और उचित मामलों (सीबीएसई से अनुमोदन के अधीन) को छोड़कर कक्षा-12 वीं में कोई भी प्रवेश नहीं होगा।

- प्रत्येक स्कूल विभिन्न कक्षाओं में रिक्तियाँ को स्कूल नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।
- जिस स्कूल में रिक्तियाँ मौजूद हैं, वहाँ सादे कागज पर उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश लेने के लिए माता पिता स्कूल से संपर्क करेंगे।
- माता-पिता से आवेदन प्राप्त होने के बाद, स्कूल पात्रता मानदंड के अनुसार एक मेरिट सर्टीफायर करेगा और जिसे कक्षा 2 से 4 और 7 वीं के लिए 25.04.2024 को और 10 मई 2024 को कक्षा 5, 6 और 8 वीं के लिए स्कूल नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- उम्मीदवार अपनी रिक्ति अभी भी बनी हुई है, तो अंतिम तिथि पर स्कूल द्वारा सभी निर्धारित पात्रता ग्राहकों को पूरा करने के अधीन प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीट बर्बाद न हो।

4. कक्षा /१ में ऑनलाइन आवेदन के लिए ऊपर बिंदु २ के अनुसार निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेज (पीडीएफ) अपलोड किए जाएंगे। सभी कक्षा में प्रवेश के समय प्रवेश पत्र के साथ पहले ही दिए गए विवरण के अनुसार स्वप्रमाणित दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक वो अंतिम रूप देने से पहले स्कूल अधिकारी मूल दस्तावेजों के माध्यम से उनका सत्याग्रह करेंगे।

- a. प्रवेश स्तर के कक्षा के अलावा, मान्यता प्राप्त विद्यालय से शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र और रिपोर्ट कार्ड ।
- b. एनडीएमसी/एमसीडी या कोई अन्य स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, प्रवेश स्तर कक्षा (केजी/1) में प्रवेश के समय, बच्चे का मूल जन्म प्रमाण पत्र जमा किया जाना है।
- c. बच्चे, माँ और पिता/कानूनी अभिभावक की तीन पासपोर्ट आकार की फोटो।
- d. निवास स्थान के प्रमाण के लिए आईडी प्रूफ - आधार कार्ड और वोटर आईडी / किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य फोटो आईडी कार्ड।
- e. आवश्यक स्व-घोषणा (अनुलग्नक-३) - माँ और पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा ।
- f. प्रवेश स्तर के कक्षाओं के लिए: एनडीएमसी क्षेत्र में पिछले एक वर्ष के निवास को प्रमाणित करने के लिए: बच्चे के माता-पिता के नाम पर बिजली बिल/पानी बिल/ गैस बिल (पिछले एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) जमा करना आवश्यक होगा। प्रथम तिमाही के लिए (अप्रैल - जून), अप्रैल 2023 मास का बिल जमा करना होगा । अंतिम तिमाही हेतु (जनवरी 2024 से मार्च 2024), माता पिता के नाम से फरवरी/मार्च 2024 के मास का बिल जमा करना आवश्यक है/ अधिकारी के लेटर हेड पर निवास का साबुत और माता-पिता और बच्चे के आधार कार्ड, पिछले एक साल के इतिहास की जानकारी (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) - पिछले एक वर्ष में रहने के विवरण के साथ एनडीएमसी क्षेत्र के लिए माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड/, पिछले एक वर्ष के दौरान नियमित वैध लेनदेन वाले किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक पासबुक (बच्चे के माता-पिता के नाम), साथ ही बैंक से प्रमाण पत्र कि पिछले एक वर्ष में नाम और पता नहीं बदला गया है।
- g. प्रवेश स्तर की कक्षा के लिए -निवास स्थान से स्कूल की दूरी को दर्शाता गूगल मैप की प्रतिलिपि।
- h. आय प्रमाणपत्र:
नवयुग स्कूलों में वर्ग 'ए' में प्रवेश पाने के उद्येश्य से, माता पिता को नवीनतम आय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र के उद्येश्य से निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रमाण के रूप में स्वीकार होंगे:-
 (अ) सरकारी कर्मचारियों हेतु आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फॉर्म-16 विभागप्रमुख द्वारा जारी।
 (ब) गैर-सरकारी कर्मचारियों हेतु आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फॉर्म-1 के साथ नियोक्ता का प्रमाणपत्र।
 (स) स्व-रोज़गार के लिए, आयकर विभाग से भरा गया नवीनतम आय रिटर्न या

बिक्री कर रिटर्न की एक प्रति या राजस्व विभाग से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/एसडीएम द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।

(द) सरकार द्वारा जारी बीपीएल प्रमाणपत्र।

(य)आय सीमा को दर्शाते हुए कोई भी सरकारी दस्तावेज।

- i. अनु.जा./अनु.जन.जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के मामले में अनु.जा./अनु.जन.जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र।
 - j. दिव्यांग बच्चे के मामले में, आर पी डब्ल्यू डी अधिनियम 2016 के अनुसार वैध दस्तावेजी प्रमाण।
 - k. राज्य की उसी शाखा में पढ़ रहे भाई-बहन के संबंध में नवीनतम विकास शुल्क रसीद जैसे वैध दस्तावेजी प्रमाण यदि लागू हों। यह लाभ केवल दूसरे बच्चे तक दिया जाएगा।
 - l. सरकारी/एनएसईएस/एनडीएमसी के नियमित कर्मचारियों हेतु - माता पिता के पहचान पत्र की प्रतिलिपि या कोई अन्य वैध दस्तावेजी प्रमाण की प्रति, यदि लागू हो।
 - m. एकल माता पिता हेतु / माता-पिता के जीवित न होने पर, विधिक अभिभावक हेतु, या नानूनी दस्तावेज, यदि लागू हो।
५. टस्टावेजों के पूरे सेट के साथ सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेजों के पूरे सेट के बिना प्रवेश के लिए अधूरे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
६. स्वतंत्र या अन्य किसी व्यक्ति को दिशानिर्देशों में वर्णित शुल्क के अलावा किसी भी दूसरे कैपिटेशन शुल्क या अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
७. चर्यां बच्चों के मामले में, टीकाकरण प्रमाणपत्र (प्रवेश स्तर की कक्षा में) प्रवेश की तारीख से 6 महीने के भीतर माता-पिता द्वारा जमा करना है।

८. प्रवेश रामय जमा किया जाने वाला शुल्क नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:

१. प्रवेश शुल्क: रु 40/ (श्रेणी "बी") या रु. 20/ (श्रेणी "ए")

२. वार्षिक विकास शुल्क: रु. 1200/

३. जमानती राशि: रु. 1000/

४. छात्र निधि:- रु. 10/-

९. इन अन्य प्रश्न के मामले में संबंधित नवयुग विद्यालयों के प्रमुखों से सभी कार्य दिवसों पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है। नवयुग विद्यालय एवं उनके आस पास के एरिया की सूची अनुलग्नक-१ एवं अनुलग्नक-२ में क्रमशः नीचे उपलब्ध है

| हालांकि इन एरिया में रहने का अर्थ दाखिले की गारंटी नहीं है, प्रवेश केवल ऊपर दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार ही होगा।



(आर.पी. सती)

निदेशक (शिक्षा)

प्रतिलिपि:

1. नवयुग विद्यालयों के सभी प्रमुखों को कड़ाई से अनुपालन हेतु।


प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. अध्यक्ष, एनडीएमसी के निजी सचिव।
2. सचिव, एनडीएमसी के निजी सचिव।
3. उप निदेशक (सामान्य), एनएसईएस।
4. संयुक्त निदेशक (शिक्षा/एनएसईएस)।
5. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण।

नवयुग विद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	प्रवेश स्तर कक्षा	विद्यालय प्रमुख का नाम	फोन नंबर	ई -मेल
१	नवयुग विद्यालय सरोजिनी नगर (उच्चतर माध्यमिक)	कक्षा-६ (प्रवेश केवल NSSNET-2024 के माध्यम से)	श्रीमती मृदुला अरोड़ा	२६८७०३९३	nsjn-ss- ndmc@ndmc.gov.in
२	नवयुग विद्यालय पेशवा रोड (उच्चतर माध्यमिक)	कक्षा-१	श्रीमती नीलिमा सिंघल	२३३६३८२०	npsh-ss- ndmc@ndmc.gov.in
३	नवयुग विद्यालय लक्ष्मीबाई नगर (उच्चतर माध्यमिक)	कक्षा-१	श्रीमती अर्चना कुमार	२४१०९५४५	nlbn-ss- ndmc@ndmc.gov.in
४	नवयुग विद्यालय मोती बाग (उच्चतर माध्यमिक)	कक्षा-१	श्रीमती सुनीता दीवान	२४१०२०२९	nmtb-ss- ndmc@ndmc.gov.in
५	नवयुग विद्यालय लोधी रोड (उच्चतर माध्यमिक)	कक्षा-१	डॉ दिनेश कुमार	२४६२६१६५	nldr-ss- ndmc@ndmc.gov.in
६	नवयुग विद्यालय मंदिर मार्ग (उच्चतर माध्यमिक)	कक्षा-१	श्रीमती तरुणा सीकरी	२३३६६०२२	nmdr-ss- ndmc@ndmc.gov.in
७	नवयुग विद्यालय विनय मार्ग (उच्चतर माध्यमिक)	कक्षा-केजी	श्री राजेश कुमार	२६८१४४१५	nvnm-ss- ndmc@ndmc.gov.in
८	नवयुग विद्यालय पंडारा पार्क (माध्यमिक)	कक्षा-केजी	श्रीमती निधि मागो	२७०३३७५४	ntlk-p- ndmc@ndmc.gov.in
९	नवयुग विद्यालय पटौदी हाउस (प्राथमिक)	कक्षा-१	श्रीमती विनीता शर्मा	२३३८९८६३	nptd-p- ndmc@ndmc.gov.in
१०	नवयुग विद्यालय जोर बाग (प्राथमिक)	कक्षा-१	श्री ब्रह्म प्रकाश उपाध्याय	२४६१९८५४	njbg-p- ndmc@ndmc.gov.in
११	नवयुग विद्यालय दरभंगा हाउस (प्राथमिक)	कक्षा-केजी	श्रीमती पिंकी गुप्ता	२३०९५२४०	ndbr-p- ndmc@ndmc.gov.in
१२	नवयुग विद्यालय बी-ऐवन्यू सरोजिनी नगर (प्राथमिक)	कक्षा-१	श्रीमती ज्योतिशना शर्मा	२४१२२०८७	sn1-p- ndmc@ndmc.gov.in

XXXXXXXXXX



नवयुग विद्यालयों में प्रवेश के लिए कुछ सुझाए गए क्षेत्र

	शाखा	पड़ोस में कुछ सुझाए गए क्षेत्र
1	नवयुग विद्यालय, दरभंगा हॉउस	औरंगज़ेब लेन, साउथेंड लेन, मान सिंह रोड, दरभंगा हॉउस, अकबर रोड, हुमायूँ रोड, पृथ्वीराज रोड, लोक नायक भवन, तुग़लक़ क्रिसेंट, रेस कोर्स
2	नवयुग विद्यालय, पंडारा पार्क	तिलक मार्ग थाना, भगवानदास रोड, काका नगर, बापा नगर, सिंकंदरा रोड, गोल्फ लिंक, पंडारा पार्क, रविंद्र नगर, खान मार्किट
3	नवयुग विद्यालय, विनय मार्ग	विनय मार्ग, चाणक्य पुरी, सरदार पटेल मार्ग, पालिका कुटुंब, अशोका होटल.
4	नवयुग विद्यालय, जोर बाग	जोर बाग, अलीगंज, कर्बला, रविंद्र नगर, लोधी काम्प्लेक्स, खान मार्किट, सफदरज़ंग एयरपोर्ट प्राधिकरण
5	नवयुग विद्यालय, पटौदी हॉउस	हरीश चंद्र माथुर लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, अनुल ग्रोव मार्ग, जनपथ, भारतीय विद्या भवन, बंगली मार्किट, कोपरनिक्स मार्ग, भगवन दास रोड, अशोकाpandaara रोड, कर्ज़न रोड, इंडिया गेट
6	नवयुग विद्यालय, सरोजिनी नगर, बी-एवेन्यू	सरोजिनी नगर, पालिका आवास, सिंधिया पॉटरी, पिलंजी गांव
7	नवयुग विद्यालय, मोती बाग	मोती बाग (१ एवं २) उत्तर, आर.के. पुरम - रिंग रोड, सेक्ट-१३, न्याय मार्ग, बापूधाम
8	नवयुग विद्यालय, पेशवा रोड	गोल मार्किट, आर.के. आश्रम मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग, पार्क स्ट्रीट, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गाँधी सदन, के.जी. मार्ग, राजा बजार, तीन मूर्ति, बाल्मीकि बस्ती
9	नवयुग विद्यालय, मंदिर मार्ग	मंदिर मार्ग, बाल्मीकि बस्ती, हेवलॉक स्क्वायर, काली बाड़ी, पालिका धाम, राष्ट्रपति एस्टेट, तालकटोरा रोड, उत्तर & दक्षिण एवेन्यू
10	नवयुग विद्यालय, लक्ष्मीबाई नगर	लक्ष्मीबाई नगर, किंदवई नगर (पश्चिम & पूर्व), एम्स, सफदरज़ंग, अंसारी रोड, राज नगर
11	नवयुग विद्यालय, लोधी रोड	लोधी कॉलोनी

प्रधानाचार्य

नवयुग स्कूल

नई दिल्ली

विषय: सत्र 2024-25 में _____ कक्षा (K.G. / 1) के लिए _____ के अविभावक द्वारा स्वघोषणा शपथपत्र
महोदय / महोदया,

मैं / हम _____ (बच्चे का नाम) के _____ - (माता) एवं
_____ (पिता / कानूनी अविभावक)

_____ (पता) के निवासी सत्यनिष्ठ घोषणा करती हूँ / करते हैं कि -

१. मैं / हम भारतीय नागरिक हूँ / हैं।
२. _____ मेरी / हमारी _____ (सगी / कानूनी) संतान है।
३. यह मेरी / हमारी _____ (पुत्र/पुत्री) है। उसका / उसकी जन्म तिथि _____ है।
४. यह मेरी पहली/ दूसरी/ तीसरी/ _____ संतान है।
५. मेरे बच्चे के ____ (0/1/2/3) सगे भाई/ बहन है। सगे भाई-बहनों का विवरण इस प्रकार है:
 - a. नाम _____ कक्षा/अनुभाग _____ स्कूल का नाम/पता _____
 - b. नाम _____ कक्षा/अनुभाग _____ स्कूल का नाम/पता _____
६. मैं / हम इस बात से अवगत हूँ / हैं कि कन्या-संतान/भाई-बहन/कोई अन्य सुविधाएं जो सरकार/स्कूल द्वारा पंजीकरण/स्कूल की पढ़ाई के दौरान दी जाती हैं, वे सिर्फ पहले दो जीवित संतान के लिए ही मिल सकती हैं, सिवाय इसके कि जब दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान एक से अधिक बच्चे पैदा होने के कारण बच्चों की संख्या दो से अधिक हो जाती है।
७. प्रवेश पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं मेरी/हमारी ओर से सम्पूर्ण और सही हैं। यदि कोई जानकारी किसी भी स्तर पर अपूर्ण अथवा असत्य पाई गयी तो उसके लिए मैं / हम पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे। ऐसे स्थिति में पंजीकरण, आवेदन और प्रवेश रद्द माना जायेगा।
८. मैं/हम भलीभांति जानता हूँ / जानते हैं कि मेरी/हमारी ओर से दी गयी घोषणा अथवा समस्त सम्बद्ध सूचनाएं यदि असत्य पाई गयी तो प्रवेश रद्द होने के साथ ही मेरे/हमारे विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए विद्यालय प्रशासन/N.S.E.S स्वतंत्र है।

माता का हस्ताक्षार

पिता / कानूनी अविभावक का हस्ताक्षर

माता का नाम

पिता / कानूनी अविभावक का नाम

माता का मोबाइल नंबर

पिता / कानूनी अविभावक का मोबाइल नंबर

तारीख: _____

XXXXXXXXXX